

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जनवरी 2022—माघ 5, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2022

क्र. एफ 4-1-2020-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 5 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश सरकार, लोकायुक्त के परामर्श से, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-8 को उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) सेवानिवृत्त लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त को लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त के पद पर की गई सेवा के बदले परिवार पेंशन भी देय होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.